भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4525 का उत्तर

लखनऊ से प्रयागराज तक इंटरसिटी ट्रेन

4525. श्री किशोरी लाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लखनऊ-सुल्तानपुर रेल मार्ग पर समपार फाटक संख्या 104सी और 109सी को "सड़क यातायात के लिए खुला" फाटक बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस पर रेलवे द्वारा क्या निर्णय किया गया है;

(ख) क्या रेलवे का लखनऊ से प्रयागराज तक (रायबरेली, गौरीगंज, अमेठी और प्रतापगढ़ होते हुए) इंटरसिटी ट्रेन चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे का सामान्य यात्रियों की सुविधा के लिए उपर्युक्त मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों में नए सामान्य डिब्बे जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो उन ट्रेनों का ब्यौरा क्या है जिनमें नए सामान्य डिब्बे जोड़े जाने वाले हैं; और

(च) सामान्य शयनयान आरक्षण के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): समपार फाटक संख्या 104सी और 109सी लखनऊ-सुल्तानपुर-जफराबाद खंड पर मौजूद हैं। फाटक की सामान्य स्थिति का निर्धारण समपार के वर्गीकरण, इंटरलॉकिंग की स्थिति, स्टेशन से जुड़े फाटकों की कुल संख्या और दृश्यता आदि के आधार पर किया जाता है। उल्लिखित समपारों की सामान्य स्थिति को “सड़क यातायात के लिए बंद” से “सड़क यातायात के लिए खुला” में बदलने की व्यवहार्यता पर विचार किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इन समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी शुरू करने की योजना है। आगे की कार्रवाई तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर करती है।

लखनऊ और प्रयागराज के बीच गाड़ियां:

भारतीय रेल अपने नेटवर्क पर और अधिक गाड़ियां चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। बहरहाल, किसी भी मार्ग/खंड पर नई गाड़ियों की शुरुआत, मौजूदा गाड़ियों की फेरों में वृद्धि, मौजूदा गाड़ियों का विस्तार आदि कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें शामिल हैं:

- उस खंड की क्षमता,
- रेलपथ की उपलब्धता,
- आवश्यक चल स्टॉक की उपलब्धता,
- चल स्टॉक के लिए उपयुक्त अवसंरचना की उपलब्धता,
- रेल पटरियों और अन्य परिसंपत्तियों के अनुरक्षण की आवश्यकता

उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में लखनऊ-प्रयागराज खंड पर 12 जोड़ी रेल सेवाएं परिचालित की जा रही हैं, जिनमें 02 जोड़ी रेल सेवाएं रायबरेली, गौरीगंज, अमेठी और मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पर रुकती हैं।

रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और अधिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए भारतीय रेल ने बड़े पैमाने पर नेटवर्क विस्तार कार्य शुरू किया है।

अवातानुकूलित सवारी डिब्बे (सामान्य एवं शयनयान):

अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से रेलवे ने सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही विभिन्न लंबी दूरी की गाड़ियों में 1250 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों का उपयोग किया गया है।

निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवारों की यात्रा मांग को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल ने अगले 5 वर्षों में 17,000 अवातानुकूलित सवारी डिब्बे (सामान्य/शयनयान) के निर्माण का कार्य शुरू किया है।

भारतीय रेल पर अवातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रतिशत लगभग 70% है, जो निम्नानुसार है:

सवारी डिब्बों का वितरण:

अवातानुकूलित सवारी डिब्बे (सामान्य और शयनयान)	**~57,200**	**~70%**
वातानुकूलित सवारी डिब्बे	**~25,000**	**~30%**
कुल सवारी डिब्बे	**~82,200**	**100%**

सामान्य सवारी डिब्बों की अधिक उपलब्धता के कारण सामान्य/अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि का रुझान देखा गया है, जैसा निम्नानुसार दर्शाया गया है:

सामान्य/अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों की संख्या:

वर्ष	**यात्रियों की संख्या**
2020-21	**99 करोड़ (कोविड वर्ष)**
2021-22	**275 करोड़ (कोविड वर्ष)**
2022-23	**553 करोड़**
2023-24	**609 करोड़**
2024-25	**651 करोड़**

अवातानुकूलित सवारी डिब्बों के यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

सीटों का वितरण:

अवातानुकूलित सीटें	**~54 लाख**	**~78%**
वातानुकूलित सीटें	**~15 लाख**	**~22%**
कुल	**~69 लाख**	**100%**

उपरोक्त आंकड़ों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि भारतीय रेल निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए प्रतिबद्ध है, जो परिवहन के किफायती साधन के रूप में रेलवे को पसंद करते हैं।

अमृत भारत सेवाएं:

निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को परिवहन के किफायती साधन उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रेल ने अमृत भारत गाड़ी सेवाएं शुरू की हैं जो पूर्णतया अवातानुकूलित आधुनिक गाड़ियां हैं। 14 अगस्त, 2025 की स्थिति के अनुसार, 16 गाड़ी सेवाएं पहले से ही परिचालित हैं। अमृत भारत की मौजूदा संरचना में 11 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बे, 8 शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बे, 01 पेंट्री कार और 02 सामान सह दिव्यांगजन सवारी डिब्बे शामिल हैं।

उच्च गति और उन्नत संरक्षा मानक इन रेलगाड़ियों की पहचान है, जिसमें निम्नलिखित संवर्धित विशेषताएं और सुविधाएं हैं:

- **वंदे भारत स्लीपर के समान उन्नत रूप और अनुभव के साथ सीट और बर्थ का बेहतर सौंदर्यीकरण।**
- **झटका रहित सेमी-ऑटोमेटिक कपलर्स।**
- **सवारी डिब्बों में क्रैश ट्यूब के प्रावधान द्वारा बेहतर क्रैशवर्थी सुविधाएँ।**
- **सभी सवारी डिब्बों और लगैज रूम में सीसीटीवी प्रणाली का प्रावधान।**
- **शौचालयों का बेहतर डिज़ाइन।**
- **बर्थ पर आसानी से चढ़ने के लिए सीढ़ी का बेहतर डिज़ाइन।**

- बेहतर एलईडी लाइट फिटिंग और चार्जिंग सॉकेट।
- ईपी सक्षम ब्रेकिंग प्रणाली का प्रावधान।
- शौचालयों और इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स में एरोसोल आधारित अग्नि शमन प्रणाली।
- यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट।
- यात्री और गार्ड/रेलगाड़ी प्रबंधक के बीच पारस्परिक संचार के लिए आपातकालीन टॉक-बैक प्रणाली।
- उन्नत तापन क्षमता वाली अवातानुकूलित पेंट्री।
- आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए त्वरित निस्तारण तंत्र के साथ पूर्ण रूप से सीलबंद गैंगवे।

भारतीय रेल में संरक्षा और यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए सवारी डिब्बों का डिजाइन और विकास एक सतत प्रक्रिया है।

भारतीय रेल ने बेहतर सवारी, उन्नत सौंदर्यकरण और हल्के वजन वाले डिजाइन, एंटी क्लाईबिंग अरेंजमेंट, विफलता सूचक प्रणाली के साथ एयर सस्पेंशन (द्वितीयक), लैस कोरोसिव शैल आदि जैसी सुविधाओं के साथ तकनीकी रूप से बेहतर एलएचबी सवारी डिब्बों का प्रसार किया है।

2004-14 की तुलना में 2014-25 के दौरान एलएचबी सवारी डिब्बों का उत्पादन निम्नानुसार है:

अवधि	सवारी डिब्बों का विनिर्माण
2004-14	2,337 अदद
2014-25	42,677 अदद (18 से अधिक बार)

भारतीय रेल ने संवर्धित संरक्षा विशेषताएं और उन्नत यात्री सुविधाओं के साथ एलएचबी प्लेटफॉर्म पर पूर्ण रूप से अवातानुकूलित अमृत भारत गाड़ियां भी शुरू की हैं:

- वंदे भारत स्लीपर के समान संवर्धित रूप और अनुभव के साथ सीट और बर्थ का बेहतर सौंदर्यीकरण।
- झटका रहित सेमी-ऑटोमेटिक कपलर्स।
- सवारी डिब्बों में क्रैश ट्यूब के प्रावधान द्वारा बेहतर क्रैशवर्थी सुविधाएँ।
- सभी सवारी डिब्बों और लगैज कक्ष में सीसीटीवी प्रणाली का प्रावधान।
- शौचालयों का उन्नत डिज़ाइन।
- बर्थ पर आसानी से चढ़ने के लिए सीढ़ी का उन्नत डिज़ाइन।
- ईपी सक्षम ब्रेकिंग प्रणाली का प्रावधान।
- शौचालयों और इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स में एरोसोल आधारित अग्नि शमन प्रणाली।
- यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट।
- अवातानुकूलित पेंट्री कार।
- त्वरित निस्तारण तंत्र के साथ पूर्ण रूप से सीलबंद गैंगवे।

यात्रियों की सुरक्षा:

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्यों के विषय हैं और इस प्रकार, रेलों में अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, पंजीकरण और जांच करना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना आदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसे वे अपनी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों यथा राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से निभाती हैं। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनसे जुड़े मुद्दों पर राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा राजकीय रेल पुलिस के साथ समन्वय करके निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. संवेदनशील और पहचाने गए मार्गों/खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस के अलावा, रेल सुरक्षा बल द्वारा भी प्रतिदिन रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।
2. तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 राष्ट्रीय [इमरजेंसी नंबर 112 के साथ एकीकृत] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
3. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर और फेसबुक आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।
4. चोरी, छीना-झपटी, ज़हरखुरानी आदि के प्रति सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।
5. यात्रियों की संवर्धित सुरक्षा के लिए अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों लगाए गए हैं।
6. 'मेरी सहेली' पहल के तहत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संपूर्ण यात्रा अर्थात् प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक संरक्षा व सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया हैं।
7. क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे जहाँ तक संभव हो ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टियों में पुरुष और महिला आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों की उचित संयुक्त संख्या की तैनाती करें।
8. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई है।

****